

# बिहार स्टेट माइनिस्ट्रीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लिमिटेड पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईटा रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email=minicorporatna@gmail.com. website:www.bsmsfc.org)

संख्या: 720 बी.एस.एम.एफ.सी., / पटना, दिनांक: 27/11/18

## स्वीकृतदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के साप संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 (पू0-...../प0) में वर्णित 15 डेडों में मध्य सम्पादित मुहम्मदी अल्पसंख्यक रोजगार रक्षण योजनागत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक- 02.03.17 एवं 04.03.17 को चयनित आवेदकों में से निम्नानुसार आवेदकों से प्रमोडलीय प्रथमी द्वारा मधुबनी जिला के रीटिडेशन कार्यालय/रक्षावज विभागाद्वारा किये गए उनके द्वारा स्थल जाँच कर सम्पादित किये गए स्थल जाँच प्रतिके चयन में अल्प राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अग्रुपों के आधार पर कुल 02 लागूकों को उनके नाम के सामने ऑफिकल डेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दशांश गण अल्प राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से अल्प राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त प्रदेश के आलोक में स्वीकृत अल्प राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शीर्षक भुगतान के स्तम्भ में दशांश गण राशि सीधे सम्बन्धित लागूक के आधार काई आञ्चलिक बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	श्री सं.	वय	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
3.	06		MD TANVIR AHMAD, S/o- MD JAMIL AKHTAR, VIII.-DUMRA, Block-ANDHRA THARI, PS-RUDR PUR, PO-DUMRA, Distt.- MADHUBANI-847411	A/c No.:- 31346703997	SHOE SHOP	500000	2500	497500
4.	14		MD SAHID RAZA, S/o- MD HAMID RAZA, VIII.-LOUKAHA, Block- PHULPARSA, PS-LOUKAHA, PO- LOUKAHA, Distt.-MADHUBANI	A/c No.:- 11693479717	SHOE SHOP	500000	2500	497500
<b>TOTAL</b>						<b>1000000</b>	<b>5000</b>	<b>995000</b>

स्वीकृत अल्प राशि में वर्णित डेड में लाभांशों द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा अल्प राशि से मुजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की शैतिक जाँच कर प्रमोडलीय कार्यालय के प्रथमी द्वारा प्रतिवेदन सम्पादित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत अल्प राशि को अल्पसंख्यक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान शैपसिक फिक्सी अथवा 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

प्रतिनिधि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण परीक्षकारी, मधुबनी/सभी अल्पसंख्यक/अल्प राशि (कम्प्लैट सेल)/

प्रबंध निदेशक

27/11/18